उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/वि.प./20/2021
Date 16/04/2021

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैंगवेजज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, 5, गोलघर अपार्टमेन्ट, कैलोस्टोन स्टेट, शिमला- 171 001
2. प्रोफेसर डी0पी0 सकलानी, परिसर निदेशक, इतिहास विभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल (क्रेन्द्रीय विश्वविद्यालय), उत्तराखण्ड।
3. प्रोफेसर अभय सक्सेना, डीन, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी,मैनेजमेन्ट एण्ड कम्यूनिकेशन, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. प्रोफेसर एल0के0 सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।
5. प्रोफेसर जे0एस0 रावत, एस0एस0जे0 कैम्पस, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
12. प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन, निदेशक, विधि विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
13. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, आचार्य, समाजशास्त्र, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
14. डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक आचार्य, प्रबंध अध्ययन, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
15. डॉ0 दिनेश कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
16. श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
17. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक **12 अप्रैल, 2021 (सोमवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **विद्या परिषद की 20वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी – 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel.: 05946-286 000 • **Toll Free No.:** 1800 180 4025 • **Fax:** 05946-264 232 • **E-mail:** info@uou.ac.in • **Website:** www.uou.ac.in

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

दिनांक 12 अप्रैल, 2021 (सोमवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
   हल्द्वानी।

2. प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, — सदस्य
   रिटायर्ड डीन ऑफ लैंग्वेजेज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी,
   समर हिल शिमला।

3. प्रोफेसर डी0पी0 सकलानी, — सदस्य
   परिसर निदेशक,
   इतिहास विभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व,
   हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
   श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

4. प्रोफेसर अभय सक्सेना, — सदस्य
   डीन, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेन्ट एण्ड कम्यूनिकेशन,
   देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

5. प्रोफेसर एल0के0 सिंह, — सदस्य
   प्रबन्ध अध्ययन विभाग,
   कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।

6. प्रोफेसर जे0एस0 रावत, — सदस्य
   एस0एस0जे0 कैम्पस,
   कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा।

7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, — सदस्य
   निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

8. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0,हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विद्या शाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन, सदस्य
निदेशक, विधि विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, सदस्य
आचार्य, समाजशास्त्र, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

13. डॉ मंजरी अग्रवाल, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

14. प्रोफेसर एच0एस0 नयाल, सदस्य सचिव
कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

15. श्रीमती रूचिता तिवारी, आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

COVID-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण उल्लिखित बैठक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सम्पन्न हुई। बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, प्रोफेसर अभय सक्सेना, प्रोफेसर एल0के0 सिंह, प्रोफेसर जे0एस0 रावत द्वारा **Google Meet** के माध्यम से उक्त बैठक में ऑन-लाइन प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, विद्या परिषद द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों का विद्या परिषद की 20वीं बैठक में स्वागत करते हुए सभी का बैठक में प्रतिभाग करने के लिये आभार व्यक्त किया गया।

कुलसचिव

तद्क्रम में कुलपतिजी द्वारा **Google Meet** के माध्यम से ऑन-लाइन बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों-प्रोफेसर बी0एस0 पठानिया, प्रोफेसर अभय सक्सेना, प्रोफेसर एल0के0 सिंह तथा प्रोफेसर जे0एस0 रावत का स्वागत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में ऑन लाइन माध्यम से प्रतिभाग किया गया तथा प्रोफेसर डी0पी0 सकलानी द्वारा इन विषम पिरस्थितियों में भी स्वंय उपस्थित होकर प्रतिभाग किया गया इसके लिए कुलपति जी द्वारा उनका विशेष आभार व्यक्त करते हुए विद्या परिषद के समस्त बाह्य एवं आन्तरित सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का विद्या परिषद की 20वीं बैठक में स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 20.01- विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की **19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020** का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/R/वि0परि0/19/2020, दिनांक 27.10.2020 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए सर्वसम्मति से 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.02- विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया जिस पर परिषद द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से उक्त बैठक की कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में पूर्व से एवं भविष्य में नियोजित होने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं का पदनाम परिवर्तित किये जाने के संबंध में सूचना/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0-(DEB) के द्वारा वर्तमान में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम को ही मान्य किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार अकादमिक परामर्शदाता पदनाम दिया गया है।

कुलसचिव

मूलत: यू0जी0सी0 का मन्तव्य है कि विषय के लिए पूर्ण रूप से समर्पित (dedicated) शिक्षक होना चाहिए और उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त अन्य नहीं होना चाहिए। तदक्रम में यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पूर्व से नियुक्त तथा भविष्य में नियोजित होने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं के पदनाम को मा0 कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विद्या परिषद की स्वीकृत की प्रत्याशा में परिवर्तित कर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) पदनाम दिया गया है तथा इसी पदनाम के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा 13 नवीन असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। साथ ही 26 विषयों में 47 असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न किये गये हैं। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.04- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व ऑनलाईन शिक्षा के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2021 के संबंध में विचार-विमर्श।

प्रस्ताव पर निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि AICTE के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2021 के अन्तर्गत यह स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि कम्प्यूटर विज्ञान, प्रबन्ध अध्ययन तथा पर्यटन विभागों के समस्त पाठ्यक्रमों को AICTE के अनुमोदन के उपरान्त ही चलाया जाय। इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2021 तक ही लागू होगी । दूसरी ओर विश्वविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रमों को चलाये जाने हेतु मान्यता जून, 2023 तक दी गयी है, इस विरोधाभास के कारण यह प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति की गयी कि अगले शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व AICTE तथा यू0जी0सी0 से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट कर ली जाय, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आगामी सत्र में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना है अथवा नहीं इसके लिए विद्या परिषद द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.05- कृषि एवं विकास अध्ययन विद्याशाखा के अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त की संस्तुतियों पर अनुमोदन।

विद्या परिषद द्वारा कृषि एवं विकास अध्ययन विद्याशाखा के अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त की संस्तुतियों का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.06- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-120, दिनांक 25 मार्च, 2021 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठयक्रमों की क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2016 के संबंध में यू0जी0सी0

कुलसचिव

द्वारा अधिसूचना संख्या-120, दिनांक 25 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया है जिसे विश्वविद्यालय में भी अंगीकृत किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 120, दिनांक 25 मार्च, 2021 को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.07- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्कसीट डिजीलॉकर के माध्यम से प्रदान किये जाने के लिए विद्यार्थियों का पंजीकरण करने हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी से प्राप्त पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय में Digital Locker Cell गठित किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्कसीट डिजीलॉकर के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु विद्यार्थियों का पंजीकरण करने के लिए विभाग में Digital Locker Implementation हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार के पत्रों का उल्लेख करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी से प्राप्त पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अंकतालिका एवं उपाधि सूचना को डिजीलॉकर में अपलोड करने एवं विद्यार्थियों का पंजीकरण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Digital Locker Cell का गठन कर लिया गया है जिसके द्वारा उक्तानुसार विद्यार्थियों के समस्त अभिलेख डिजीलॉकर पर अपलोड कर दिये गये हैं। विद्या परिषद द्वारा इसके लिए विश्वविद्यालय की प्रशंसा की गयी तथा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.08- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वंय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के समस्त विद्याशाखाओं द्वारा अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या-F.No.1-8/2017 (SWAYAM Board), दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमोदित SWAYAM पोर्टल में उपलब्ध ऑनलाईन पाठ्क्रमों को विश्वविद्यालय के समस्त विद्याशाखाओं द्वारा अंगीकृत करने एवं जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के समान हैं उनकी सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। विद्या परिषद द्वारा अवगत होते हुए यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.09- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ (MOU) किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके इस कारण विभिन्न शिक्षण संस्थानों, वृत्तिक निकायों

कुलसचिव

एवं संगठनों के साथ गठजोड़ (MOU) किया गया है। इस हेतु कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कुलपतिजी द्वारा प्रोफेसर दुर्गेश पंत से इस पर विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रोफेसर पंत द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं जैसे- CEMCA, New Delhi, Amrita University, Coimbatore, USERC, Department of Science & Technology Govt. of Uttarakhand, Spoken Tutorial-IIT Mumbai, Monash University, South Africa, THE OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA (OUSL), Bhabha Atomic Research Centre, The Electronic Media Production Centre of IGNOU, New Delhi, Naini Group of Industries, Kashipur & Uttarakhand Co-operative Department (Under Progress) के साथ एम0ओ0यू0 किया जा चुका है अन्य कई के साथ कार्यवाही चल रही है।

विद्या परिषद द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय की सराहना की गई तथा प्रोफेसर डी0पी0 सकलानी, प्रोफेसर अभय सक्सेना तथा अन्य सदस्यों द्वारा मत व्यक्त किया गया कि समस्त विद्याशाखा निदेशकों द्वारा अपने-अपने विषय से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में एम0ओ0यू0 किये जा सकते हैं जिससे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का और अधिक प्रचार-प्रसार हो सके तथा विद्यार्थियों के हित में अन्य संस्थाओं के नवीन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित किये जा सकें। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.10- शोध उपाधि अधिनियम-2016 के क्रम में 'शोध निर्देशकों' को मान्यता देने एवं अन्तर्विषयी विषयों में शोध हेतु विभिन्न विषयों को सम्मिलित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश-2016 के अनुच्छेद (8) में "नियमित सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिसके सन्दर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किये गये हों उन्हें शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।" का उल्लेख है। अध्यादेश में वर्णित उक्त व्यवस्था के अधीन विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत अलग-अलग विषयों में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य नियोजित हैं जिनके द्वारा शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शोध निर्देशन की अर्हता का परीक्षण किये जाने हेतु शोध एवं नवाचार विभाग द्वारा विभिन्न विद्याशाखाओं से शोध उपाधि अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप आवेदन-पत्र मांगे गये। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, प्रोफेसर पी0डी0 पंत तथा कुलसचिव ने प्रतिभाग किया। गठित समिति द्वारा निम्नलिखित आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों को शोध निर्देशकों के रूप में मान्यता दिये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसे मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किया गया है:-

1. डॉ0 शालिनी चौधरी, अर्थशास्त्र
2. डॉ0 आशुतोष कुमार भट्ट, कम्प्यूटर विज्ञान

कुलसचिव

3. डॉ0 विनोद कुमार, रसायन विज्ञान
4. डॉ0 सरस्वती नन्दन ओझा, वनस्पति विज्ञान
5. डॉ0 देवकी सिरौला, शिक्षाशास्त्र
6. डॉ0 डिगर सिंह फर्सवान, शिक्षाशास्त्र
7. डॉ0 ज्योति रानी, गणित
8. डॉ0 परवेश कुमार सहगल, जीव विज्ञान
9. डॉ0 विशाल कुमार शर्मा, भौतिक विज्ञान
10. डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
11. डॉ0 अरविन्द भट्ट, गणित
12. डॉ0 घनश्याम जोशी, लोकप्रशासन
13. डॉ0 राजेन्द्र, हिन्दी
14. डॉ0 सिद्धार्थ कुमार पोखरियाल, विशिष्ट शिक्षा
15. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, समाजशास्त्र
16. प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन, विधि
17. डॉ0 दीपिका वर्मा, गृहविज्ञान
18. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, भौमिकी/भू-गर्भ विज्ञान

उक्त के अतिरिक्त अन्तर्विषयी विषयों में शोध हेतु गठित समिति द्वारा निम्नलिखित आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों को शोध निर्देशकों के रूप में मान्यता दिये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसे मा0 कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया है :-

क्रम सं0	विभाग	सहा0 आचार्य-सह/ आचार्य के नाम/आचार्य	विषय	अपने विषय से सम्बन्धित सह और प्रासंगिक विषय की सूची
01	समाज कार्य	डॉ0 नीरजा सिंह	समाज कार्य	समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, स्वास्थ्य एवं पोषण, मनोविज्ञान।
02	मनोविज्ञान	डॉ0 सीता	मनोविज्ञान	योग, शिक्षाशास्त्र।
03	अर्थशास्त्र	डॉ0 शालिनी चौधरी	अर्थशास्त्र	विकास अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन अध्ययन, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र।
04	राजनीति विज्ञान	डॉ0 सूर्यभान सिंह	राजनीति विज्ञान	लोक प्रशासन
05	वाणिज्य	डॉ0 गगन सिंह	वाणिज्य	प्रबन्ध अध्ययन, अर्थशास्त्र।
06	पर्यटन	डॉ0 अखिलेश सिंह	पर्यटन	होटल प्रबन्ध, प्रबन्ध अध्ययन, वाणिज्य
07	होटल प्रबन्ध	डॉ0 जटाशंकर तिवारी	होटल प्रबन्ध	पर्यटन प्रबन्ध, प्रबन्ध अध्ययन, वाणिज्य
08	प्रबन्ध अध्ययन	डॉ0 मंजरी अग्रवाल	प्रबन्ध अध्ययन	वाणिज्य, होटल प्रबन्ध एवं पर्यटन अध्ययन, एग्री बिजनेस मैनेजमैंट, अर्थशास्त्र

09	गृह विज्ञान	डॉ0 दीपिका वर्मा	गृह विज्ञान	खाद्या विज्ञान/खाद्य और पोषण/खाद्य प्रौद्योगिकी/पोषण और डायटेटिक्स/मानव विकास और परिवार का अध्ययन/बाल विकास, परिवार संसाधन प्रबंधन/गृह अर्थशास्त्र, वस्त्र/वस्त्र विज्ञान, विस्तार शिक्षा/विस्तार और संचार।
10	विशेष शिक्षा	डॉ0 सिद्धार्थ कुमार पोखरियाल	विशेष शिक्षा	शिक्षाशास्त्र, विशेष शिक्षा
11	रसायन विज्ञान	डॉ0 शालिनी सिंह	रसायन विज्ञान	कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी/ माइक्रोबायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, औषधि विज्ञान, सांख्यिकी
12.	भौमिकी/भू-गर्भ विज्ञान	प्रोफेसर पी0डी0 पंत	भौमिकी/भू-गर्भ विज्ञान	भूगोल/पर्यावरण विज्ञान/भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग

विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय में नियोजित आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों को शोध निर्देशकों के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियाँ जिन्हें मा0 कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया है, पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.11- विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में परिवर्तन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में परिवर्तन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.12- पीएच0डी0 पाठ्यकार्य (Course Work) को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, शोध द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र-2021 में पंजीकृत विद्यार्थियों के पाठ्यकार्य की कक्षाएं आरम्भ की जानी है। COVID 19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021 के पाठ्यकार्य (Course Work) को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा वर्तमान में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियोंवश सर्वसम्मति से पीएच0डी0 पाठ्यकार्य (Course Work) को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 20.13- 'स्वंय प्रभा' शैक्षिक टी0वी0 चैनल पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम अपलोड किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि **'स्वंय प्रभा'** शैक्षिक टी0वी0 चैनल संख्या-20 का उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में स्थानीय नोडल सेन्टर बनाया गया है, जिसमें मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त डॉ0 सुमित प्रसाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नोडल सेन्टर के माध्यम से विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में आधे-आधे घंटे के शैक्षिक कार्यक्रम बनाकर अपलोड कर सकता है, जिसे स्वंय प्रभा टी0वी0 चैनल-20 के द्वारा प्रसारित किया जायेगा। इस हेतु शिक्षकों अथवा बाह्य विशेषज्ञों को स्वंय प्रभा द्वारा मानदेय भी दिया जायेगा, जिससे विश्वविद्यालय पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव से विद्या परिषद अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20.14- पर्यटन तथा होटल प्रबन्धन को मिलाकर एक विभाग किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0-(DEB) के द्वारा होटल प्रबन्धन को ऐसे विषयों की सूची में रखा गया है जिनकी मान्यता दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय में होटल प्रबन्धन में एक सह-आचार्य भी नियुक्त है, व्याप्त परिस्थितियों में विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि ***'पर्यटन एवं आतिथ्य'*** के नाम से नवीन विभाग का सृजन कर इस विभाग में होटल प्रबन्धन विभाग के शिक्षक को भी समायोजित किया जाय। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए संस्तुति की गयी कि इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाय।

प्रस्ताव संख्या 20.15- विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए चलाये गये एक माह की अवधि के Faculty Induction Programme की सूचना के संबंध में।

प्रस्ताव पर निदेशक अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 विनियम-2018 के प्राविधानों में यह अनिवार्य किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को एक माह की अवधि का Faculty Induction Programme कराया जाय। इस Faculty Induction Programme की मान्यता एक Orientation Programme के समान होगी।

उक्त विनियम के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 से दिनांक 5 अप्रैल, 2021 तक की अवधि में Faculty Induction Programme चलाया गया। इस कार्यक्रम में दूसरे देशों के बाह्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त एम0एच0आर0डी0, इग्नू तथा ए0टी0आई0 इत्यादि संस्थाओं के विषय-विशेषज्ञों के अलावा आन्तरिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव से विद्या परिषद अवगत हुई तथा प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, अकादमिक की इस कार्य हेतु सराहना करते हुए उन्हें विद्या परिषद द्वारा बधाई दी गयी एवं प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 20.16- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

1. निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया कि ऑनलाइन सत्रीय कार्य में परीक्षार्थियों द्वारा एक विषय हेतु 2 बार प्रयास में सत्रीय कार्यों को हल किया जा सकता है। दो प्रयासों में से जिस प्रयास के अंक अधिक होंगे वे अंक ही परीक्षार्थी को प्राप्त होंगे।

बैठक के अन्त में प्रोफेसर अभय सक्सेना द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा innovation and research पर भी कार्य किया जाय जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में research paper/research journal प्रकाशित किये जा सकते हैं, जिससे शोध एवं नवाचार में भी विश्वविद्यालय अग्रणी संस्थानों में सम्मिलित हो सके। प्रोफेसर सक्सेना के सुझाव का विद्या परिषद द्वारा सराहना की गयी तथा कुलपति जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र में अवश्य कार्य किया जायेगा। इस पर विद्या परिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्य सचिव/ कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)